2018/00194

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 36/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

मंदिर श्रीकाल भैरू जी विराजमान नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
(अप्रार्थी)

उपस्थित :– श्री महेश योगी (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 27.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा के गत खसरा नम्बर 93 हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.66 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 74 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2038–2057 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी बापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 74 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री महेश योगी एड0 ने0 अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की विशेष आपत्तियों मे कथन किया कि मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है, जो कभी भी अपने अधिकारों के लिए नाबालिग अवस्था माने जाने से उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की याचना व अहित पहूंचाने बाबत की जाने

वाली कार्यवाही विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है , तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत किया है वह टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरित है । मंदिर मूर्ति की समस्त कृषि आराजी खातेदारी की आराजी है जिसकी आय से ही मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा व अन्य व्यवस्था होती है । रेफरेन्स मे उल्लेखित उक्त मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन है, देवस्थान भी उक्त मंदिर की देखरेख कर्ता रहा है उसकी अनुपस्थिति व बिना पक्षकार के तहसीलदार का रेफरेन्स चलने योग्य नही है । मंदिर मूर्ति काल भेरू जी विराजमान नान्ता (अप्रार्थी) का प्रार्थी वादी संरक्षक है प्रार्थी मंदिर भेरू जी विराजमान नान्ता का व्यवस्थापक एवं पुजारी है । श्री काल भेरूजी विराजमान नान्ता के नाम जमाबन्दी सं0 2012 से 2015 मे ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा की आराजी माफी ख0 नं0 82 रकबा 18 बीधा 11 बिस्वा, ख0 नं0 83 की 25 बीधा 18 बिस्वा , ख0 नं0 86 की 7 बीधा ख0 नं0 96 रकबा 4 बीधा 9 बिस्वा कुल 55 बीधा 18 बिस्वा आराजी दर्ज है । राजस्व जमाबन्दी सं0 2033 से 2036 खाता सं0 34 ग्राम रामनगर मं माफीदार मंदिर श्री काल भेरूजी विराजमान नान्ता को आराजी ख0 नं0 81 रकबा 16 बिस्वा , ख0 नं0 83 रकबा 10 बीधा 13 बिस्वा, ख0 नं0 170 रकबा 10 बिस्वा, ख0 नं0 181 रकबा 22 बीधा 4 बिस्वा, ख0 नं0 193 रकबा 18 बीधा 11 बिस्वा कुल 5 किता रकबा 52 बीधा 14 बिस्वा का माफीदार दर्शाया गया है और माफीदार की खुदकाश्त दर्ज है । जमाबन्दी सं0 2012 से 2015 मे माफीदार श्री काल भेरूजी विराजमान नान्ता के खाते मे 55 बीधा 18 बिस्वा आराजी दर्ज थी । जमाबन्दी सं0 2033 से 2036 मे माफीदार काल भेरू जी विराजमान नान्ता की आराजी का रकबा कम करके कुल 52 बीधा 4 बिस्वा दर्ज कर दी इस प्रकार 3 बीधा 14 बिस्वा भूमि कम कर दिया । परन्तु माफीदार 55 बीधा 18 बिस्वा आराजी पर काबिज रहा और काश्त करता चला आ रहा है । भू प्रबन्ध विभाग ने दौराने बन्दोबस्त सं0 2038 से 2057 मे गत ख0 नं0 81, ख0 नं0170, ख0 नं0181, ख0 नं0 193, कुल 52 बीधा 14 बिस्वा के नये ख0 नं0 कायम कर मिलान क्षेत्रफल तैयार किया है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038 से 2057 मे गत ख0 नं0 89 मिन 77, 93,94,95, 181/230,87 मिन 181 मिन 170 मिन 89 मिन मे नया ख0 नं0 231 रकबा 0.66 है0, कायम किया है प्राथी ख0 नं0 231 रकबा 0.66 है0 मे से ख0 नं0 93 का रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा– 0.31 है0 ही नाले की कम कराने का अधिकारी है । शेष रकबा 0.35 है0 श्री काल भेरूजी के खाते मे दर्ज रहेगी । मूर्ति श्री काल भेरूजी के खाते की आराजी वर्तमान मे गैर मुमकीन ड्रेन अंकित है तहसील लाडपुरा की कृषि आराजी मे नहरी कार्य होने व ड्रेनेज सिस्टम का सुचारू रखने के लिये समय समय पर केचमेन्ट कार्य किया ड्रेन का निर्माण किया गया और इसी ड्रेन के माध्यम से वेस्ट पानी की निकासी व कृषि आराजी पर सिंचाई की जाती है जो कि चम्बल सिंचाई परियोजना के अधीन है पूर्व के समस्त अधिकार व रिकार्ड केचमेन्ट के आधार पर बनाया गया है जिसमे किसी भी तरह का परिवर्तन किये जाने का अधिकार बिना केचमेन्ट विभाग की परमीशन के नही किया जा सकता है । और उक्त रेफरेन्स मे मंदिर मूर्ति खातेदार है जिसमे मंदिर मूर्ति के विरूद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना विधि के विरूद्व है । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रा0 पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 93 हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.66 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 74 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2038–2057 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प0010(3)

राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 74 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा